

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तामील  
में जारी हुए

तारीख हुक्म	हुक्म व कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01-06-22	<p>अपी:- श्री लेखू मंघानी</p> <p>रेसपो0 : श्री आकाश पारीक</p> <p>पत्रावली आज प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति, क्षेत्राधिकार के अभाव में खारिज किये जाने बाबत पर निर्णयार्थ पेश हुई। रेसपोडेन्ट अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि यह अपील अन्तर्गत धारा 97(2) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरुद्ध आदेश दिनांक 07.01.2015 सम्पदा अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद नागौर के विरुद्ध दुकान नम्बर 30 के बारे में प्रस्तुत की है, जो वर्तमान में जैरकार है। यह अपील अन्तर्गत धारा 97 (2) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरुद्ध गलत व्याख्या कर न्यायालय में प्रस्तुत की गई है जबकी अपील अन्तर्गत धारा 97(2) के अन्तर्गत राज्य सरकार किसी भी पक्षकार पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले ऐसे किसी भी विनिश्चय या आदेश के निष्पादन पर उसके सम्बंध में उपधारा (1) के अधीन की अपनी शक्तियों का प्रयोग करने तक रोक लगा सकेगी का अंकन है तथा 97-क(2) के अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन या तदधीन बनाये गये किसी नियम के अधीन किये गये या जारी किये गये जिला परिषद के किसी आदेश या निर्देश से व्यथित कोई भी व्यक्ति इस प्रकार किये गये आदेश या निर्देश के विरुद्ध अधिकारिता रखने वाले खण्ड आयुक्त को ऐसे आदेश या निर्देश की तारीख से तीस दिन के भीतर-भीतर अपील कर सकेगा का अंकन किया गया है, जबकी अपीलाधीन आदेश विधिक आधार पर भी अपील सव्यय खारिज किये जाने योग्य है। रेसपोडेन्ट अधिवक्ता का यह कथन है कि अपीलाधीन आदेश में सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को नहीं है क्योंकि राजस्थान सरकार पंचायती राज विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ139(51) परावि/ विधि/अतिक्रमण/2005/3833 जयपुर दिनांक 24.12.2005 के तहत राजस्थान लोक सम्पत्ति (अनाधिकृत अधिभोगी बेदखली अधिनियम) 1964 की धारा 2(बी) के अनुसार पंचायतो की सम्पत्ति लोक सम्पत्ति है, इस पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण करने वालों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत बेदखल किया जा सकता है। उक्त परिपत्र में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 12.11.1992 में समस्त जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को सम्पदा अधिकारी नियुक्त किया हुआ है, जो पंचायत की सम्पत्तियों से अवैध कब्जों को हटाने हेतु अधिकृत है। उक्त परिपत्र में यह भी स्पष्ट किया हुआ है कि अनाधिकृत</p>	

संभागीय आयुक्त  
अजमेर

निरन्तर

तारीख हुक्म

अपी:- श्री लेखू मंघानी

रेस्प0 : श्री आकाश पाशी

अधिभोगी से वसुली, किराये एवं क्षतिपूर्ति की राशि बकाया के रूप में वसूल किया जायेगा। उक्त कार्यवाही करने के समय गवाहों को बुलाने एवं उनकी उपस्थिति बाध्य करने, दस्तावेजों को मंगवाने या अन्य किसी मामले में जिनको विहित किया जाये, सम्पदा अधिकारी को व्यवहार न्यायालय की शक्तिया प्राप्त होगी। परिपत्र में अपील के प्रावधान एवं बेदखली आदेश या किराये एवं क्षतिपूर्ति निहित करने के आदेश के विरुद्ध जिला जज अथवा उसके द्वारा अधिकृत न्यायिक अधिकारी हो, के समक्ष की जा सकेगी। यह अपील 15 दिवस के भीतर की जा सकती है। न्यायालय हाजा को अपील को सुनने व निस्तारण करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। राजस्थान सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम 1964 की धारा 2(ख) सरकारी स्थान की उप धारा (4) में भी राजस्थान पंचायत अधिनियम 1994 (अब राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994) के अधीन स्थापित किसी पंचायत का वर्णन किया गया है। धारा 9(1) में भी धारा 5 या 7 के अधीन किसी सरकारी स्थान के बारे में सम्पदा अधिकारी द्वारा दिये गये प्रत्येक आदेश की अपील किसी ऐसे अपील अधिकारी को जो उस जिले का जिला न्यायाधीश होगा, जिसमें उक्त सरकारी स्थान स्थित है या कम से कम दस वर्ष की अवस्थित वाले उस जिले के ऐसे अन्य न्यायिक अधिकारी को होगी, जिसे जिला न्यायाधीश इस निमित्त पदाविदित करे। अतः अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत अपील राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97(2) के तहत प्रस्तुत की गई है। जिसे सुनवाई व निस्तारण का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को नहीं होकर सिविल न्यायालय को होने से प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति क्षेत्राधिकार के अभाव में खारिज किये जाने का स्वीकार किया जाकर अपील इसी स्तर पर खारिज फरमाया जाने का निवेदन किया है।

उक्त रेस्पोजेन्ट अभिभाषक द्वारा की गई बहस के जवाब में अपीलान्त अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि उनके द्वारा प्रस्तुत अपील राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97(2) के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलाधीन आदेश (अनाधिकृत अधिभोगी बेदखली) अधिनियम 1964 में नहीं है।

उभयपक्ष अभिभाषक की सुनी बहस पर मनन एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया।


संभागीय आयुक्त  
अजमेर

निरन्तर

शिवदयाल बनाम विकास अधिकारी पंचायत समिति मेडता व अन्य

पील/पंचायत/03/2015

(2015/00032)

तारीख हुक्म	हुक्म व कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>अपी:- श्री लेखू मंघानी</p> <p>रेस्पोंडेंट : श्री आकाश पारीक</p> <p>जिससे यह स्पष्ट है कि अपीलाधीन आदेश सम्पदा अधिकारी की हैसियत से जारी किया गया है। अतः रेस्पोंडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बसिलसिले विधिक व प्रारम्भिक आपत्ति बाबत क्षेत्राधिकार के अभाव में खारिज किये जाने का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.01.2015 इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं होने से इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: center;"> संभागीय आयुक्त अजमेर</p>	